

उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खडे वृक्षों के सार्वजनिक नीलाम/निविदा हेतु शर्तें

1. खडे वृक्षों के विक्रय हेतु नीलाम/निविदा कार्यवाही "जहाँ है जैसा है" के आधार पर सम्पन्न होगी।
2. नेक जमानत/गेट मनी/प्रवेश शुल्क :-
 - (i) नीलाम/निविदा- नीलाम में भाग लेने हेतु इच्छुक क्रेता द्वारा नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क हेतु रुपया 11800.00 (दस हजार रुपये मात्र) (निविदा मूल्य का 2.5% या रुपया 11800.00 जो भी अधिक हो) का बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर/राष्ट्रीय बचत पत्र जो सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक/प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक या प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पदनाम बंधक/निरूपित हो, जमा करना अनिवार्य है। नीलाम हेतु प्रवेश शुल्क नकद भी जमा की जा सकती है। जिसकी मूल धनप्राप्ति रसीद नीलाम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी।
 - (ii) उच्चतम प्राप्त नीलाम/निविदा सम्बन्धी नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क, जो विक्रय मूल्य सम्बन्धी धनराशि देयको के विरुद्ध समायोजित हो सकेगी, को रोककर अन्य क्रेताओ की उक्त धनराशि यथाशीघ्र विलम्बतम 3 (तीन) दिन के अन्दर वापस कर दी जायेगी या क्रेता के लिखित अनुरोध पर अन्य लौट के देयकों के विरुद्ध समायोजित की जा सकेगी।
3. इच्छुक क्रेता द्वारा अपने नाम, पता आदि के प्रमाणन हेतु निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-
 - (i) जी0एस0टी0एन0 नम्बर (ii) पैन कार्ड (iii) आधार कार्ड और (iv) राशन कार्ड/वोटर कार्ड/वाहन चालन अनुज्ञा एवं अन्य पहचान पत्र जो पहचान पत्र के रूप में मान्य हो, की स्व सत्यापित छायाप्रति।
4. सम्बन्धित लौट की विक्रय सूची में लौट की स्थिति, वृक्षों का विवरण, कार्य अवधि अंकित है। इच्छुक क्रेता का चाहिए कि नीलाम/निविदा में भाग लेने से पूर्व लौट के वृक्षों का भली-भाँति निरीक्षण कर लें। यदि कोई भिन्नता हो तो क्रेता यथा स्थिति पुष्टि उपरान्त ही नीलाम/निविदा में भाग लें। नीलाम/निविदा स्वीकार होने के पश्चात् लाट की मात्रा-गुणवत्ता के सम्बन्ध में क्रेता का कोई प्रत्यावेदन/क्लेम स्वीकार नहीं किया जायेगा/मान्य नहीं होगा और प्रथम दृष्टया ही अमान्य कर दिया जायेगा।
 - (i) नीलाम में लाट की बोली स्वीकार होने के तुरन्त बाद उसी दिन क्रेता को उस लाट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत वन निगम के अधिकृत कर्मचारी के पास जमा करके रसीद लेनी होगी।
 - (ii) निविदा की दशा में उच्चतम निविदा सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि से (सूचना प्रेषित किए जाने की तिथि छोड़कर) 7 (सात दिन) के अन्दर लौट की कीमत का 10 प्रतिशत जमानत करना अनिवार्य है।
 - (iii) यदि क्रेता द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत जमानत नहीं जमा की जाती है तो तत्सम्बन्धी जमा, नेक जमानत/गेटमनी/प्रवेश शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और लौट के विक्रय निस्तारण हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
 - (iv) लौट का कार्य संतोषजनक निर्धारित प्रक्रियानुसार सम्पन्न किए जाने के उपरान्त ही जमा की वापसी/समायोजन होगा।
6. नीलाम/निविदा प्रपत्र में यथानिर्दिष्ट क्रेता को हस्ताक्षर करने होंगे।
7. बिक्री का अनुमोदन वन निगम के समक्ष अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सम्बन्धित प्रभागीय प्रबन्धक/डिपो अधिकारी/प्रतिनिधि द्वारा इसकी सूचना क्रेता को पंजीकृत डाक/कोरियर के माध्यम से क्रेता के पते पर भेजी जायेगी। डाक में विलम्ब की जिम्मेदारी वन निगम की नहीं होगी।
8. नीलाम/निविदा की तिथि से 30 (तीस दिन) के अन्दर (नीलाम/निविदा की तिथि छोड़कर) यदि लाट का अनुमोदन क्रेता को सूचित नहीं किया जाता है तो क्रेता लाट क्रय करने के बाध्य नहीं होगा एवं जमा जमानत की वापसी/समायोजन हेतु क्रेता स्वतंत्र होगा।

9. क्रेता को लाट का सम्पूर्ण विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क (शासन द्वारा निर्धारित दरों पर) आदि देयक अनुमोदन सूचना जारी होने के (जारी तिथि छोड़कर) 20 दिन के भीतर जमा करना होगा। विशेष विक्रय मूल्य पर 0.25 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क के साथ अधिकतम 10 (दस दिन) दिनों की मियाद वृद्धि अनुमत्त होगी। मियाद वृद्धि, समुचित कारणों का उल्लेख करते हुये प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा दी जा सकेगी। यदि मियाद वृद्धि की अवधि में भी समस्त देयक जमा नहीं किया जाता है तो लाट की बिक्री स्वतः निरस्त हो जायेगी और क्रेता की जमानत जब्त हो जायेगी और लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
10. लौट का विक्रय मूल्य, व्यापार कर, आयकर, मण्डी शुल्क, स्टाम्प शुल्क आदि देयक सम्बन्धित प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक के पक्ष में बने ड्राफ्ट/पे-आर्डर RTGS/NEFT/E-Payment द्वारा ही स्वीकार होगा। सीमान्त समायोजन हेतु अधिकतम रु0 3000/- नगद जमा हो सकते हैं।
11. समस्त देयकों की अदायगी हो जाने पर कार्यदेश सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा जारी किया जायेगा जो दस्ती/डाक द्वारा भेजा जाएगा। कार्यदेश जारी होने की तिथि के 10 दिन के अन्दर (जारी भेजने की तिथि छोड़कर) क्रेता को लौट में कार्य आरम्भ करना होगा। सूचित आरम्भ करने से 03 दिन पूर्व उसे वन निगम के सम्बन्धित अधिकारी (जिसका उल्लेख कार्यदेश में होगा) को लिखित रूप से सूचित करना होगा तथा वन निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में कार्य आरम्भ करना होगा।
12. लौट में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व क्रेता को रु0 100/- के स्टाम्प पेपर में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के साथ अनुबन्ध करना होगा। नीलाम/निविदा शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होंगी।
13. यदि क्रेता कार्यदेश निर्गत होने के 10 (दस) दिनों के अन्दर कार्य आरम्भ नहीं करता है तो लौट के विरुद्ध जमा विक्रय मूल्य आदि समस्त धनराशि सहित स्वतः जब्त हो जायेगी तथा लौट का निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।
14. क्रेता केवल चिन्हित वृक्षों का ही पातन/कटान करेगा। यदि किसी वृक्ष के विषय में सन्देह हो तो क्रेता उसके निराकरण हेतु वन निगम के सम्बन्धित इकाई अधिकारी को लिखित आवेदन करेगा। निराकरण होने के पश्चात् ही ऐसे वृक्ष का पातन/कटान करेगा। यदि क्रेता चिन्हित वृक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य वृक्ष का पातन/कटान करेगा तो उसे इसके लिए निर्धारित अर्थ दण्ड देना होगा। यदि लौट में कार्य के समय किसी भी समय यह ज्ञात होगा कि क्रेता द्वारा कहीं भी अवैध पातन/कटान किया है तो लौट की बिक्री तत्काल निरस्त कर दी जायेगी और क्रेता द्वारा हेतु समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी। चिन्हित समस्त छपे वृक्षों एवं कटे हुये प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा। इसके अतिरिक्त वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
15. लौट के क्रेता को वृक्षों का पातन/कटान, आवश्यकतानुसार लापिंग आदि करने इस से करना होगा ताकि लौट के समीपस्थ बिजली लाइन, टेलीफोन लाइन या भवनो आदि को क्षति न हो। लौट में काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनो एवं राहगीरो आदि की सुरक्षा हेतु (आवश्यकतानुसार) लाल झण्डी का प्रयोग क्रेता को करना होगा। यदि लौट में वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा किसी सम्पत्ति की कोई क्षति होगी तो इसकी प्रतिपूर्ति क्रेता को करनी होगी।
16. क्रेता द्वारा नियमानुसार सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करते हुये लौट में कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा।
17. क्रेता को लौट से माल निकासी वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित के अन्तर्गत वन निगम के निर्धारित प्रपत्र 4.5 में वन निगम के अधिकृत कर्मचारी द्वारा दी जायेगी। निकासी खन्ना पर क्रेता अथवा क्रेता के अधिकृत एवं वाहन चालक को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। निकासी नियमानुसार सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच दी जायेगी। निकासी के समय नियमानुसार अभिवहन शुल्क भी क्रेता को देना होगा, निकासी हेतु लौट स्थल को ही ट्रान्जिट डिपो माना जायेगा।


18. विक्रय सूची/कार्यादेश में अंकित समय सीमा-निर्धारित कार्य अवधि के अन्तर्गत क्रेता को लोट (जॉब) के सभी चिह्नित वृक्षों का पातन/कटान एवं उत्पादित प्रकाष्ठ जलौनी आदि की निकासी करनी होगी। निकासी से पूर्व प्रकाष्ठ के बोटो पर वन निगम अपने स्वामित्व का घन चिह्न लगायेगा। यदि क्रेता निर्धारित समय के अन्दर पातन/कटान व उत्पादित हुये प्रकाष्ठ/जलौनी की निकासी नहीं करेगा तो क्रेता के लिखित आवेदन पर उसे 15 दिनों का अतिरिक्त समय अनुमन्य हो सकता है, जिसके लिये क्रेता को लोट के कुल विक्रय मूल्य का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से अवधि विस्तार शुल्क देना होगा। यदि इन अतिरिक्त 15 दिनों में भी क्रेता लोट का कार्य पूर्ण नहीं करता है तो छेपे वृक्षों एवं उत्पादित समस्त प्रकाष्ठ/जलौनी पर वन निगम का स्वामित्व हो जायेगा जिसका निस्तारण करने हेतु वन निगम स्वतंत्र होगा।

19. लोट की कार्यसमाप्ति के बाद क्रेता द्वारा इसकी लिखित सूचना सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को दी जायेगी। तदुपरान्त नियमानुसार कार्य सम्पन्न होने की दशा में क्रेता द्वारा वन संरक्षण अधिनियम सहित सम्बन्धित सुसंगत नियमों एवं प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

20. क्रेता पर किसी भी प्रकार की बकाया वसूली क्रेता से भू-राजस्व के रूप में की जा सकती है।

21. लोट का कार्य निर्धारित प्रक्रियानुसार एवं संतोषजनक सम्पन्न होने के उपरान्त जमा जमानत वापस/समायोजित की जायेगी।

22. क्रेता एवं प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक/प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर सम्बन्धित "क्षेत्रीय प्रबन्धक (कू0क्ष0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम" पंच निर्णायक होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा जो दोनों पक्षों का मान्य होगा।


प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
इल्दानी।


विक्रय सूची नीलाम तिथि-17-10-2023 (हल्द्वानी स्थित संख्या -03)

रायल्टी पेड़ खतरनाक खड़े वृक्षों का नीलाम

क्रम सं०	वन विकास निगम की लॉट	वन विभाग की लॉट सं०	वन प्रभाग	राजि का नाम	लौंगिंग प्रभाग का नाम	प्रजाति	नमता (सेमी०)	कुल वृक्ष	टैल आयतन (सी०मी०घ०)	अनुमानित आयतन (घ०मी०)
1	147/23-24	29/21-22	नैनीताल	भवानी	लौंगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		6	30.733	29.4015
2	148/23-24	30/21-22	नैनीताल	भवानी	लौंगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		1	0.694	0.3470
						बाज		3	2.427	1.2134
3	149/23-24	54/21-22	नैनीताल	भवानी	लौंगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़,		9	21.901	21.9010
						सुरई		4	3.014	1.5070
						काफल		1	0.425	0.2125
4	150/23-24	55/21-22	नैनीताल	भवानी	लौंगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		4	12.069	12.069
5	151/23-24	05/23-24.	नैनीताल	भवानी	लौंगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		3	10.823	5.412
6	152/23-24	14/21-22	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौंगिंग प्रभाग	चीड़		3	10.823	10.823
						बाज		2	11.32	11.32

7	153/23-24	8/22-23.	नैनीताल	उत्तरी गोला	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		4	2.776	1.388
8	154/23-24	12/22-23.	नैनीताल	दक्षिणी गोला	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	तुन		1	1.133	0.4248
9	155/23-24	13/22-23.	नैनीताल	दक्षिणी गोला	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		6	25.347	12.6735
10	156/23-24	17/22-23	नैनीताल	मनोरा	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		4	25.110	14.595
11	157/23-24	20/22-23	नैनीताल	मनोरा	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड़		2	5.326	3.9945
						बाज		1	4.08	4.08
12	158/23-24	22/22-23	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	मोरपंखी		1	0.85	0.85
13	159/23-24	25/22-23	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	चीड़		2	6.743	3.372
14	160/23-24	28/22-23	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	चीड़		4	7.169	5.8375
15	161/23-24	34/22-23	अल्मोडा	मोहान	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	तुन		2	8.058	3.0217

16	162/23-24	54/22-23	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	चीड		2	6.743	6.7430
17	163/23-24	55/22-23	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	चीड		5	14.732	13.7120
18	164/23-24	59/22-23	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	चीड		1	5.66	5.66
19	165/23-24	75/22-23	अल्मोडा	रानीखेत	अल्मोडा लौगिंग प्रभाग	चीड		1	7.01	7.01
20	166/23-24	3/22-23.	नैनीताल	दक्षिणी गोला	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड		10	19.875	18.140
21	167/23-24	04/23-24.	नैनीताल	दक्षिणी गोला	लौगिंग प्रभाग नैनीताल	चीड		3	3.357	3.010
TOTAL								85	248.198	198.718


 जिनो अधिकारी
 नगरपालिका वन विकास निगम
 प्लाटो जिनो वं० ३



विकय सूची निलाम लिथि- 17-10-2023 (लालकुआं डिपो संख्या-1)

रायल्टी पेड खतरनाक खड़े वृक्षों का नीलाम

क्र० सं०	वन विकास निगम की लॉट संख्या	वन विभाग की लॉट संख्या	वन प्रभाग	राशि का नाम	लौंगिण प्रभाग का नाम	प्रजाति	नपत (सेमी०)	कुल वृक्ष	अनुमानित आयतन (घ०मी०)	आधार मूल्य	लॉट का विवरण
1	513/23-24	122/23-24	तटई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी	गौला राखि	पूर्वी हल्द्वानी लौंगिण प्रभाग	हल्द्व		3	10.281		

डिपो अधिकारी
लालकुआं डिपो नंबर -01
उत्तराखण्ड वन, विकास निगम
लालकुआं डिपो सं-1

उत्तराखण्ड वन विकास निगम, विपणन प्रभाग, हल्द्वानी
प्रकाष्ठ विक्रय डिपो लालकुआँ डिपो सं०-४ (प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, पश्चिमी हल्द्वानी से प्राप्त खडे एवं खतरनाक / बाधक वृक्षों की विक्रय सूची) दिनांक 17.10.2023

क्र० सं०	लोट सं०/ वर्ष	वन विकास निगम की लोट संख्या	वन प्रभाग का नाम	कक्ष संख्या	प्रजाति	वृक्षों की संख्या	आयतन सी० सी० एफ० (घ०मी०)	आयतन ठोस (घ०मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	04/23-24	268/23-24	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रुद्रपुर	महतोष से मसीत, बैरिया चौकी गदरपुर रविवार बाजार, सकैनिया रोड एवं केलाखेडा स्टेट बैंक के सामने।	शीराम	14	7.0460	26.5870
					सागीन	5	1.0580	3.4930
					जामुन	8	1.2480	4.4200
					बबूल	1	0.5710	1.7130
					आम	3	0.3850	1.4900
					अर्जुन	19	4.1050	12.9280
					यूकैलिप्टस	2	5.6680	5.6680
कुल योग						52	20.0810	56.2990

डिपो अधिकारी
 उत्तराखण्ड वन विकास निगम
 डिपो सं० 4, लालकुआँ